प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2022*

विषय केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर गुप्ता पुत्र श्री सिद्धगोपाल निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09-09-2021 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर गुप्ता पुत्र श्री सिद्धगोपाल, जो निकट निगम मण्डी छिबरामऊ, थाना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। बन्दी की सास सरोज देवी ने अपनी सम्पत्ति बेची थी जिससे प्राप्त रूपये में से दस हजार बन्दी द्वारा हासिल करते हुए अपनी सास व उनके दो पुत्रों की हत्या कारित की गयी। दिनांक 26.04.2001 को तीव्र दुर्गन्ध आने पर पड़ोसियों द्वारा ताला तोड़कर देखा गया तो पाया कि तीनों लोग मृत अवस्था में पड़े मिले। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-215/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-1), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.08.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.02.2021 तक 10 वर्ष 11 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 05 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, कन्नौज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मवीर गुप्ता (बन्दी संख्या-26406) पुत्र श्री सिद्धगोपाल निवासी जनपद-कन्नौज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-44/2022/2466(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।